	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 23, सोमवार, *शाके* 1947- जुलाई 14, 2025 *Asadha 23, Monday, Saka 1947- July 14, 2025*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

प्रपत्र - 7

(धारा-11 भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकारी अधिनियम 2013 के अन्तर्गत)

नियम 16 का उपनियम -(1) देखें।

प्रारम्भिक अधिसूचना

जयपुर, जून 23, 2025

Rajkaj 16099034 :-भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार को ऐसा प्रतित होता है कि ग्राम खारिया में परिवर्तित बजट वर्ष 2024-25 की घोषणा संख्या-14-111, दिनांक 10.07.2024 द्वारा घोषित कार्य रेलवे अण्डर ब्रिज द्वारा, स्वीकृत रेलवे अण्डर ब्रिज (आर.यू.बी) अन्तर्गत स्वीकृत मोलीसर रतनगढ़ रेलवे स्टेशन (312/0-1) के मध्य आयुबी रतनगढ़ (चूरू) का निर्माण कार्य विकसित किये जाने हेतु लोक हितार्थ के लिए जिला-चूरू, तहसील रतनगढ़ के संलग्न अनुसूची की सम्बन्ध सारणी के कॉलम 1 से 6 तक में उल्लेखित एक राजस्व ग्राम खारया, हरिपुरा में कुल तीन (03) खसरा नम्बरों का आंशिक भाग का 0.407 हेक्टयर क्षेत्रफल भूमि की जनहित में आवश्यकता है। जिसे अधिग्रहित किया जाना अत्यावश्यक है।

भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत राजस्थान भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 में सामाजिक समाघात आंकलन अध्ययन की प्रक्रिया विहित है, परन्तु इस संबंध में संबंधित ग्राम पंचायत गौरीसर से परामर्श किये जाने पर यह जाहिर किया गया है कि उक्त कार्य क्षेत्र में कोई निर्माण अथवा आवास नही होने से पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की आवश्यकता नहीं होगी तथा विस्थापित होने वाले परिवारों की संख्या शून्य है। इसलिए सामाजिक समाघात आंकलन (Social Impact Assessment) अध्ययन भी नहीं किया जाना समाचीन प्रतीत होता है। अतः उपर्युक्त परियोजना के लिए जिला-चूरू, तहसील रतनगढ़ के ग्राम खारिया] हरिपुरा में कुल 0.407 हेक्टेयर भूमि अधिसूचित की जाती है।

अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की अनुसूची से सम्बन्ध सारणी (सार संक्षेप)

क्रम संख्या	जिला	तहसील	राजस्व-ग्राम/नगर का नाम	प्रभावित भूमि	
				कुल खसरों की संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

1	2	3	4	5	6
1	चूरू	रतनगढ़	खारिया,हरिपुरा	03	0.407

भूमि योजना का निरीक्षण भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रतनगढ़ए जिला चूरू के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्यावधि में किया जा सकता है।

भूमि-अर्जनए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार सार्वजनिक निर्माण विभागए रतनगढ़ एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारियों को अपने श्रमिकों सहित यदि कोई होए को प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने तथा तलमापन करनेए अवमृदा के भीतर खोदने या भेदन करने तथा वह समस्त कार्यए जो धारा 12 में वर्णित हैए को करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा-11;4द्ध के अधीन कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा और न ही किसी से करवायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा परन्तु विशेष परिस्थितियों में आवश्यक होने पर हीए अर्थात क्रय/विक्रयए रहनए स्वरूप/ शीर्षक/ भूउपयोग परिवर्तन सम्बन्धि कार्य इस अधिसूचना के जारी होने के पश्चात् बिना भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारीए रतनगढ़ जिला चूरू की पूर्वानुमति के नहीं करेगा।

इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिवस में यदि किसी हितबद्ध पक्षकार को भूमि अर्जन से संबंधित कोई आपत्ति है तो अधिनियम की धारा -15 के अन्तर्गत आपत्ति भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रतनगढ जिला चूरूए के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी।

अतः एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि संलग्न अनुसूचि में उल्लेखित राजस्थान सरकार के परिवर्तित बजट वर्ष 2024.25 की घोषणा संख्या-14.111ए दिनांक 10.07.2024 द्वारा घोषित कार्य रेलवे अण्डर ब्रिज द्वाराए स्वीकृत सेतु बंधन योजनान्तर्गत भ्स्वीकृत रेलवे अण्डर ब्रिज (आर.यू.बी.) मोलीसर रतनगढ़ रेलवे स्टेशन (312ध्0.1द्ध के मध्य आयुबी रतनगढ़ (चूरू) श्का निर्माण/विकास के लिए जनहित मेंए अर्जित किया जाना अत्यावश्यक है।

;धारा-11 भूमि-अर्जनए पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकारी अधिनियम 2013 के अन्तर्गत) नियम 16 का उपनियम -(1द्ध देखें।

प्रारम्भिक अधिसूचना

राजस्व ग्राम -खारिया तहसील- रतनगढ़ जिला-चूरू

अनुसूची

क्रं. सं.	सर्वेक्षण (खसरा संख्या)	सम्पूर्ण क्षेत्रफल (हैक्टेयर)	शीर्षक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अधिग्रहण के तहत क्षेत्रफल (हैक्टेयर)	**हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता**	**सीमाओं का विवरण**				**वृक्षों का विवरण**	**संरचनाओं का विवरण**
							उत्तर	**दक्षिण**	**पूर्व**	**पश्चिम**		
1	145	5.9438	—	बा. दोयम	0.2154	पृथ्वी सिंह पुत्र भंवर सिंह जाति-राजपूत निवासी-खारिया	—	—	—	—	10 पेड़ रोहिड़ा, 3 खेजड़ी 2 झाड़ी	

						खातेदार						
कुल प्रस्तावित अधिग्रहण भूमि					0.2154							

अनुसूची												
क्रं. सं.	सर्वेक्षण (खसरा संख्या)	सम्पूर्ण क्षेत्रफल (हैक्टेयर)	शीर्षक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अधिग्रहण के तहत क्षेत्रफल (हैक्टेयर)	**हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता**	**सीमाओं का विवरण**				**वृक्षों का विवरण**	**संरचनाओं का विवरण**
							उत्तर	**दक्षिण**	**पूर्व**	**पश्चिम**		
1	87	5.0586	–	बा. दोयम	0.1463	कुशल सिंह पुत्र जसंवत सिंह जाति-राजपूत नि. हरिपुरा खातेदार राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा गोरीसर	–	–	–	–	6 खेजड़ी 1 रोहिड़ा	
कुल प्रस्तावित अधिग्रहण भूमि					0.1463							

क्रं. सं.	सर्वेक्षण (खसरा संख्या)	सम्पूर्ण क्षेत्रफल (हैक्टेयर)	शीर्षक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अधिग्रहण के तहत क्षेत्रफल (हैक्टेयर)	**हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता**	**सीमाओं का विवरण**				**वृक्षों का विवरण**	**संरचनाओं का विवरण**
							उत्तर	**दक्षिण**	**पूर्व**	**पश्चिम**		
1	83	2.7949	–	बा. दोयम	0.0453	1णअनिता पुत्री बीरबलराम हिस्सा-1ध100 2ण अमरीदेवी पत्नि रणवीर हिस्सा-1ध90 राहिन हिस्सा-1ध90पंजाब नेशनल बैंक शाखा गोरीसर 3णइन्द्रचन्द पुत्र पीथाराम हिस्सा-1ध25 4णकंचन पुत्री रामकुमार हिस्सा-1ध75 5णकमला पुत्र मन्शाराम हिस्सा-1ध40 6णकरणाराम पुत्र मन्शाराम हिस्सा-1ध40 7णखूमाराम पुत्र लिछमण हिस्सा-1ध5	–	–	–	–	–	

						8णगिरधारी लाल पुत्र मन्शाराम हिस्सा-1ध40 9णताराचन्द पुत्र मगाराम हिस्सा-1ध30 राहिन हिस्सा 1ध30 पंजाब नेशनल बैंक शाखा गोरीसर 10णदयाराम पुत्र बीरबलराम हिस्सा 1ध100 11णदर्शना पुत्री रामकुमार हिस्सा 1ध75 12णदीनदयाल पुत्र बीरबलराम हिस्सा-1ध100 13णनेमीचन्द पुत्र रणवीर हिस्सा-1ध90 राहिन हिस्सा 1ध90 पंजाब नेशनल बैंक शाखा गोरीसर 14णनारायणी पत्नि मन्शाराम हिस्सा-1ध40 15णपतासी देवी पुत्री						

						मगाराम हिस्सा - 1६30 16ण्भारताराम पुत्र मन्शाराम हिस्सा- 1६40 17ण्मनफुल पुत्र मन्शाराम हिस्सा- 1६40 18ण्मनोज कुमार पुत्र मगाराम हिस्सा- 1६30 राहिन हिस्सा- 1६30 पंजाब नेशनल बैंक शाखा गोरीसर 19ण्मोहरा पुत्री पीथाराम हिस्सा- 1६25 20ण्रामनिवास पुत्र मन्शाराम हिस्सा- 1६40 21ण रामप्यारी पुत्री केशराराम हिस्सा- 1६15 22ण्लछीदेवी पत्नि मगाराम हिस्सा- 1६30 राहिन हिस्सा- 1६30 पंजाब नेशनल बैंक शाखा गोरीसर						

						23णविधाधर पुत्र मगाराम हिस्सा-1ध30 राहिन हिस्सा-1ध30 पंजाब नेशनल बैंक शाखा गोरीसर 24णविमला पत्नि बीरबलराम हिस्सा-1ध100 25णशिशपाल पुत्र केशराराम हिस्सा-1ध15 26ण्संतोष पुत्री केशराराम हिस्सा-1ध15 27ण्सन्तोष पुत्री मन्शाराम हिस्सा-1ध40 28सुनिता पुत्री रणवीर हिस्सा-1ध90 29ण्सुमन पत्नि रामकुमार हिस्सा 1ध75 30ण्सीताराम पुत्र पीथाराम हिस्सा 1ध25 जाति-जाट निवासी खारिया						

						खातेदार						
कुल प्रस्तावित अधिग्रहण भूमि					**0.0453**							

आर. के. लूथरा,
संयुक्त सचिव(पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।